न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—95/2018/223 (2018/00095)

1. श्रीमती सुमन निंरकारी पत्नी श्रवण निंरकारी, जाति हिन्दू सिंधी, निवासी 618/27, कन्हैया लाल हलवाई की गली, रामगंज, अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

2. सरदार मंगतसिंह पुत्र सरदार संतसिंह, निवासी अलवर गेट, नसीराबाद रोड़, अजमेर । **(फौत) नाम तर्क**
3. सरदार महेन्द्रसिंह पुत्र सदार मंगतसिंह, निवासी अलवर गेट, नसीराबाद रोड़, अजमेर ।
4. हीरालाल पुत्र सुखराम, कौम कोली, निवासी मकान नंबर 499/26, महाबोधि स्कूल के पास, गौतम नगर, अजमेर। (मृतक) जरिये वारिसानः— 4/1— श्रीमती भगवती देवी पत्नी सुरेश पुत्री हीरालाल, नि0 123, कपिल वास्तु कॉलोनी, न्यू राजीव नगर, धोलाभाटा, अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 5.4.2018 अंतर्गत वाद संख्या 39/2009.

उपस्थितः—

1. श्री नौरतमल जैन एवं श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांट।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 27.8.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5.4.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/तहसीलदार, अजमेर ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दौराई की वर्किंग जमाबंदी खाता संख्या 468 के खसरा नंबर 1489 रकबा 6—15—00 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 सरदार मंगतसिंह वल्द सरदार संतसिंह व सरदार महेन्द्रसिंह वल्द मंगतसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज है जिनके द्वारा दिनांक 27.2.1999 को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 को 497.77 वर्गगज भूमि विक्रय की गई जिसका नामांतकरण संख्या 756 दिनांक 7.1.2008 को स्वीकृत किया जाकर अप्रार्थी संख्या 3 के नाम अंकन किया गया । उपरोक्त 497.77 वर्गगज भूमि में से 398 वर्गगज भूमि दिनांक 28.11.

2007 को अप्रार्थी संख्या 3 जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है के द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 को विक्रय कर दी और मौके पर क्रेता को कब्जा संभला दिया जाना विक्रय पत्र में दर्शाया है । इस प्रकार यह हस्तातंरण राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 42 के प्रावधानों के विपरीत होने के बावजूद तत्कालीन पटवारी हल्का ने नामांतकरण संख्या 782 दिनांक 13.1.2009 को अप्रार्थी संख्या 4 के नाम दर्ज कर दिया । इस प्रकार धारा 42 का उल्लघंन होने से किया गया विधिविरूद्ध नामांतकरण निरस्तनीय है तथा खसरा नंबर 1489 में से किये गये विधिविरूद्ध 398 वर्गगज भूमि को सिवायचक दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश प्रदान करावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 8.7.2010 द्वारा प्रार्थी तहसीलदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि को कब्जे राज लेने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 284/2010 पेश की गई जो निर्णय दिनांक 27.7.2011 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया गया । प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने पर अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 5.4.2018 द्वारा प्रार्थी तहसीलदार, अजमेर द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर विवादित आराजी खसरा नंबर 1489 में रकबा 398 वर्गगज भूमि को सिवायचक घोषित कर कब्जा बहक सरकार प्राप्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंट संख्या 1 राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं विधिक के प्रावधानों के प्रतिकूल तथा राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 5 (20) के अनुसार एवं धारा 103 राज0 भू–राजस्व अधि0 के प्रावधानों के अनुसार विवादित सम्पति कृषि भूमि नहीं है परन्तु अधी0न्याया0 के द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी रिकार्ड के प्रतिकूल विवादित सम्पति को कृषि भूमि मानकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलांट के द्वारा प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 4 हीरालाल से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 28.11.2007 को हीरालाल से उसके स्वामित्व की सम्पति जिसमें दो कमरे व खुला चौक निर्मित है के सहित जो कि खसरा संख्या नया 1489 पुराना 1453 का भाग है कि जिसका क्षैत्रफल 398.22 वर्गगज है, को क्रय किया है । उक्त आवासीय सम्पति में हीरालाल के द्वारा संबंधित विद्युत विभाग से आवासी सम्पति के उपयोग हेतु विद्युत कनेक्शन भी प्राप्त किया गया है। विक्रेता हीरा लाल को अपनी आवासीय सम्पति विक्रय करने का पूर्ण विधिक अधिकार है । किसी भी अनुसूचित जाति के सदस्य को उसकी आवासीय सम्पति किसी भी स्वर्ण जाति के सदस्य को विक्रय किये जाने का विधिक अधिकार है परन्तु अधी0न्याया0 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत जवाबदावा एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेज को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आवासीय सम्पति को कृषि भूमि मानते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 4 हीरालाल की जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने केवल मात्र संभावना के आधार पर ही निर्णय व डिक्री पारित की है । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट के द्वारा आवासीय सम्पति क्रय करने के पश्चात् विवादित सम्पति में व्यावसायिक कार्य हेतु संबंधित विद्युत विभाग से

व्यावसायिक औद्योगिक विद्युत कनेक्शन भी प्राप्त किया गया एवं जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर से अपीलांट के द्वारा क्रयशुदा सम्पति में सिद्धार्थ पेन्ट इण्डस्ट्रीज रंग रोशन पेन्ट के लघु उद्योग के संदर्भ में भी अभिस्वीकृति संख्या 000372 दिनांक 9.6.2008 को प्राप्त की गई है । इस प्रकार विवादित सम्पति जो कि अपीलांट के द्वारा क्रय की गई आवासीय सम्पति थी एवं है एवं जिला उद्योग केन्द्र से औद्योगिक कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त की जाकर कार्य किया जा रहा है जिससे विवादित सम्पति कृषि भूमि नही है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री में इस संबंध में कोई विवेचन नहीं किया है । बहस में आगे कथनप किया कि अपीलाधीन सम्पति के संदर्भ में अपीलांट के पक्ष में वादी/तहसीलदार के द्वारा नामांतकरण संख्या 782 दिनांक 13.1.2009 को समस्त तथ्यों की जानकारी कर स्वीकृत किया गया जो नामांतकरण आज दिवस तक प्रभाव में है ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 के द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 175 राज0काश्त0अधि0 जो प्रस्तुत किया गया वह विधि के प्रतिकूल है । अपीलाधीन सम्पति जो कि ग्राम दौराई की घनी आबादी के मध्य आवासीय सम्पति है जो कि नगर निगम, अजमेर के क्षैत्राधिकार में है जो कि कृषि भूमि होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है बल्कि आबादी भूमि है इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी के द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु वादपत्र के संदर्भ में वादी द्वारा स्वंय की कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत नहीं की गई, वादपत्र के तथ्यों को प्रमाणित नही किया गया तथा पटवारी हल्का के बयान भी नहीं करवाये गये है तथा न ही प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 4 हीरालाल की जाति संबंधी कोई प्रमाण पत्र ही पेश किया गया है और न ही प्रदर्शित करवाया गया है यहां तक कि अपीलांट को पटवारी से जिरह का भी अवसर प्रदान नही किया गया है । अधी0न्याया0 ने जो तनकियात कायम की है उनका निर्णय विधि के प्रतिकूल किया गया है । बहस में यह भी कथन किया कि हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को रिमाण्ड किया गया था किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा हाजा न्यायालय के पूर्व आदेशों की पालना नहीं की गई है जिससे भी अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजी कृषि भूमि है । इस भूमि का खातेदार अप्रार्थी संख्या 4 हीरालाल था जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है जिसके द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र से अपीलांट को बैचान किया गया जो धारा 42 राज0काश्त0अधि0 के विपरीत होने से अधी0न्याया0 द्वारा विधिसम्मत् रूप से कार्यवाही की जाकर अपीलाधीन आराजी को सिवायचक घोषित कर कब्जे राज लिये जाने के आदेश पारित किये है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष तहसीलदार, अजमेर द्वारा अपीलांट के विरूद्ध ग्राम दौराई स्थित खसरा नंबर 1489 रकबा 6–15–00 बीघा के संदर्भ में धारा 175 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रकरण पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 सरदार मंगतसिंह व महेन्द्रसिंह के नाम उक्त भूमि वर्किंग जमाबंदी में खातेदारी दर्ज है, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा दिनाक 27.2.1999 को हीरालाल वल्द सुखराम को 497.77 वर्गगज भूमि विक्रय की गई एवं उक्त विक्रय के आधार पर नामांतकरण संख्या 756 दिनांक 7.1.

2008 को स्वीकृत किया गया है । तत्पश्चात् हीरालाल वल्द सुखराम जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है के द्वारा अपनी क्रयशुदा भूमि में से 398.22 वर्गगज भूमि दिनांक 28.11.2007 को सुमन निंरकारी पत्नि श्रवण निरंकारी अपीलांट को बेचान की गई तथा कब्जा हस्तातंरित किया गया है जबकि अनुसूचित जाति की भूमि होने के कारण धारा 42–बी राज0काश्त0अधि0 का उल्लघंन होने के कारण भूमि को राजकीय भूमि घोषित कर कब्जा सरकार लिया जावे । जवाब में अपीलांट द्वारा कथन किया कि अपीलांट द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 28.11.2007 को हीरालाल से आवासीय सम्पति जिसमें दो कमरे, खुला चौक बने हुए है जिसमें बिजली का कनेक्शन भी लगा हुआ है, सम्पति क्रय की गई । इस संदर्भ में अधी0न्याया0 के समक्ष पंजीबद्ध विक्रय पत्र प्रस्तुत किये गये एवं कथन किया गया कि अपीलाधीन सम्पति कृषि भूमि न होकर शहरी क्षैत्र में होकर आबादी भूमि है जिसमें तहसीलदार को धारा 175 राज0काश्त0अधि0 की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है । यह भी कथन किया कि विक्रेता हीरालाल अनुसूचित जाति का सदस्य होना गलत है । प्रकरण निरस्त किया जावे परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा भूमि को कृषि भूमि मानकर धारा 175 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सम्पति को सिवायचक घोषित कर राज कब्जे में लेने का आदेश पारित किया है ।

7. अपील में विद्वान वकील अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलाधीन सम्पति शहरी क्षैत्र में होकर आबादी में स्थित है तथा अपीलाधीन सम्पति के चारो तरफ घनी आबादी बसी हुई है, सड़के बनी हुई, जल एवं विद्युत कनेक्शन लगे हुए है, अपीलाधीन सम्पति कभी कृषि उपयोग में नहीं ली गई है एवं यह भी कथन किया कि भूमि का गृह कर भी नगर निगम, अजमेर ने वर्ष 2007–08 से निरन्तर अपीलांट से वसूल किया जा रहा है एवं उक्त विवादित सम्पति नगर निगम की परिधि में स्थित है । यह भी कथन किया कि अपीलांट के विक्रेता हीरालाल अनुसूचित जाति का सदस्य होने के संदर्भ में रेस्पो0/प्रार्थी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गई है । अपीलांट का कथन है कि मेरे स्वंय के विक्रय पत्र में हीरालाल द्वारा पुत्र सुखराम दर्ज है जिसके द्वारा मुझे रिहायशी सम्पति विक्रय की गई है तथा राजस्व जमाबंदी प्रदर्श पी–3 में भी कहीं पर भी हीरालाल की जाति अंकित नहीं है । तहसीलदार द्वारा भी कोई जाति प्रमाण पत्र हीरालाल का प्रस्तुत नही किया गया है एवं न ही यह प्रमाणित करवाया गया है कि हीरालाल अनुसूचित जाति का सदस्य है । अधी0न्याया0 द्वारा मात्र कयासों के आधार पर आबादी भूमि को कृषि भूमि मानकर निर्णय पारित किया है जो कि विधिविरूद्ध है ।

8. हमनें इस संदर्भ में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा 2007 (2) आर0आर0टी0 पेज 1342 हाई कोर्ट, 2007 आर0बी0जे0 हाई कोर्ट पेज 828, 2007 (1) आर0आर0टी0 पेज 230, एवं आर0एल0डब्ल्यू0 1989 पेज 380–बी एवं राजस्थान सरकार का परिपत्र दिनांक 27/31 जनवरी 1990 प्रस्तुत किये।

9. विद्वान वकील अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलाधीन भूमि कृषि भूमि न होकर आबादी भूमि है इस कारण धारा 42 राज0काश्त0अधि0 के प्रावधान लागू नहीं होते है । इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट के पंजीबद्ध विक्रय पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा खेती की भूमि क्रय न कर एक रिहायशी निवास सम्पति क्रय की गई है जिसमें दो कमरे, खुला चौक बने होकर बिजली का कनेक्शन भी लगा हुआ है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत गृह कर रसीद के अनुसार वर्ष 2007–08 से अपीलांट द्वारा नगर निगम अजमेर को निरन्तर गृह कर अदा किया जा रहा है । स्वंय उप पंजीयक, अजमेर जो कि सरकार के प्रतिनिधि है, द्वारा अपीलांट का विक्रय पत्र दिनांक 27.11.2007 को आवासीय दर लेकर विक्रय पत्र को पंजीबद्ध किया है, उक्त विक्रय पत्र में भी कृषि भूमि

होने के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं है एवं विक्रेता हीरालाल पुत्र सुखराम अनुसूचित जाति का सदस्य हो प्रथम पृष्ठ पर कोई उल्लेख नहीं है । जमाबंदी प्रदर्श–3 में भी हीरालाल अनुसूचित जाति का सदस्य हो कोई उल्लेख नहीं है । तहसीलदार का यह दायित्व था कि ठोस साक्ष्य अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत कर यह सिद्ध किया जाता कि अपीलांट का विक्रेता हीरालाल अनुसूचित जाति का सदस्य है, यहां तक कि तहसीलदार द्वारा हीरालाल का अनुसूचित जाति का सदस्य होने के संदर्भ में कोई जाति प्रमाण पत्र अथवा अन्य कोई राजकीय दस्तावेज भी पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित हो कि विक्रेता हीरालाल अनुसूचित जाति का सदस्य हो अथवा भूमि कृषि भूमि हो । हाजा न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई । मौका रिपोर्ट दिनांक 11.6.2019 के अनुसार वर्किंग खसरा नंबर 1489 वर्तमान खसरा नंबर 417 ग्राम दौराई में से अपीलांट द्वारा क्रय की सम्पति 398.22 वर्गगज भूमि आवासीय, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रयोग में ली जा रही है, मौके पर उक्त खसरे में 20–25 मकान बने हुए है जिनमें से अधिकांश अधिवासित है । मौके पर ही मैसर्स वी0पी0 इण्डस्ट्री तथा पटेल ट्रेडर्स रामजी भाई मिल संचालित है साथ ही अपीलांट सुमन निंरकारी की पेंट फेक्ट्री तथा एक मिरर इंण्डस्ट्री भी संचालित है । मौके पर किसी भी स्थान पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है । उक्त खसरे से लगायत आई0ओ0सी0 डिपो स्थित है और सामने एच0एम0टी0 स्थित है और पश्च भाग में रीको द्वारा स्थापित ईकाई संचालित है । यह रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा पेश की गई है जिस पर रेस्पो0 द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है । उपरोक्त रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन सम्पति घनी आबादी के मध्य स्थित होकर व्यावसायिक उपयोग में ली जा रही है, अपीलाधीन सम्पति के चारो तरफ आवासीय मकान बने है जिसमें निवास हो रहा है एवं आस–पास एच0एम0टी0, रीको एरिया एवं आई0ओ0सी0 डिपो आदि ईकाईयां स्थित है । धारा 103 भूराजस्व अधि0 के अनुसार आबादी भूमि से तात्पर्य भूमि जो आबादी के मध्य हो एवं रहवास के उपयोग में आ रही हो आबादी भूमि होती है । इस संदर्भ में 1989 पार्ट–2 आर0एल0डब्ल्यू0 पेज 380 हेडनोट–बी में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

10. Rajasthan Urvan Improvement Trust, Act 1959- Secs. 2& 3 and Rajasthan Land Revenue Act-Secs, 102-A Declaring particular revenue village into an urban area-provision of Land Revenue Act will cease to have any value.

11. ऐसा ही सिद्धांत 2007 आर0बी0जे0 हाई कोर्ट पेज 828 एवं 2007 आर0आर0टी0 पार्ट–2 पेज 1342 हाई कोर्ट में प्रतिपादित किया गया है।

12. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर राजस्थान सरकार द्वारा 27/31, जनवरी 1990 अतः परिपत्र भी जारी किया गया है कि कोई भूमि शहरी क्षैत्र घोषित होने के बाद राजस्थान भू–राजस्व अधि0 के तहत कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये । अपीलाधीन सम्पति शहरी क्षैत्र में अवस्थित होकर आवासीय एवं व्यासायिक उपयोग में ली जा रही है तथा गृह कर भी नगर निगम, अजमेर को निरन्तर अदा किया जा रहा है एवं उप पंजीयक, अजमेर द्वारा भी विवादित सम्पति का विक्रय पत्र रिहायशी सम्पति मानकर ही पंजीबद्ध किया गया है । उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट प्रमाणित है अपीलाधीन सम्पति कृषि भूमि न होकर आबादी भूमि है तथा आबादी भूमि होने से धारा 42–बी राज0काश्त0अधि0 के प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होते है । अधी0न्याया0 द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को अनदेखा का निर्णय पारित किया है जिसे विधिसंगत नहीं माना जा सकता है ।

13. जहां तक अपीलांट के विक्रेता हीरालाल का अनुसूचित जाति का सदस्य होने का प्रश्न है । इस तथ्य को साक्ष्य द्वारा साबित करने का भार वादी/रेस्पो0 पर था परन्तु हीरालाल स्वंय के द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र एवं प्रदर्श–3 जमाबंदी में कहीं पर भी हीरालाल अनुसूचित जाति का सदस्य हो अंकित नहीं है एवं न ही रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष हीरालाल के अनुसूचित जाति होने के संबंध में कोई जाति प्रमाणपत्र एवं अन्य राजकीय दस्तावेजो से यह साबित किया है कि अपीलांट का विक्रेता हीरालाल अनुसूचित जाति का सदस्य हो । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2007 (1) आर0आर0टी0 पेज 230 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि वादी/रेस्पो0 को धारा 175 के प्रकरण में जाति ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करना आवश्यक है किन्तु हस्तगत प्रकरण में वादी/रेस्पो0 अपीलांट के विक्रेता के अनुसूचित होने के तथ्य को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अधी0न्याया0 का निर्णय कि हीरालाल विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य हो विधिसंगत नहीं माना जा सकता है ।

14. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य पायी जाती है ।

15. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 39/2009 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 5.4.2018 निरस्त की जाती है तथा ग्राम दौराई, तहसील अजमेर स्थित भूमि वर्किंग खसरा नंबर 1489 में से अपीलांट द्वारा क्रयशुदा भूमि का नामांतकरण संख्या 782 दिनांक 17.1.2009 रकबा 398.22 वर्गगज बाबत् बहाल किया जाता है एवं वर्किंग खसरा नंबर 1489 के वर्तमान खसरा नंबर 417 में 333/10900 वां हिस्सा वर्तमान जमाबंदी में सिवायचक के स्थान पर अपीलांट श्रीमती सुमन निरंकारी के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

16. निर्णय आज दिनांक 27.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर